



OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, STATE TAX DEPRT.

KHAND-1, NOIDA

FORM GST DRC-01

[See Rule 142(1)]

REF: [REDACTED]

DATE: 20-12-2023

TO,

GSTIN	[REDACTED]	
TRADE NAME	[REDACTED]	MPANY LIMITED
TAX PERIOD	APR 18 TO MAR 2019	
FINANCIAL YEAR	2018-19	

-: नोटिस- CGST/UPGST अधिनियम 2017 की धारा -73(1) के अंतर्गत :-

व्यापारी द्वारा दाखिल वित्तीय वर्ष 2018-19 की माह अप्रैल से मार्च तक की रिटर्नों में पायी गयी कमियों के आधार पर जीएसटी अधिनियम की धारा-61 के अंतर्गत नोटिस ASMT-10 जारी किया था जिसमें आपको अपना जवाब नियत तिथि तक दाखिल करना अनिवार्य था जो आपके द्वारा उक्त नियत तिथि तक दाखिल नहीं किया गया। उक्त के क्रम में ऑनलाइन रिटर्नों की अग्रिम जाँच करने पर पायी गयी कमियों /विसंगतियों को आधार मानते हुये जीएसटी अधिनियम की धारा- 73(1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया जा रहा है-

1. निम्नानुसार दाखिल जी0एस0टी0आर-1 (4A, 4B, 4C, 6B, 6C, B2C +7-9B) में घोषित करावर्त एवं मासिक विवरणी 3B (3.1a) में घोषित करावर्त में अन्तर स्पष्ट है। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित हैं, अन्यथा क्यों न करावर्त में अन्तर पर कर की मांग ब्याज / अर्थदण्ड सहित सृजित की जाए? There is an apparent difference between taxable turnover as declared in GSTR-1 (4A, 4B, 4C, 6B, 6C, B2C+7-9B) and that declared in monthly returns 3B (3.1a). Clarification with evidence is expected, else why a demand of tax along with interest and penalty on the differences between turnovers should not be generated?

जी0एस0टी0आर-1 (4A, 4B, 4C, 6B, 6C, B2C +7-9B) में घोषित कर एवं मासिक विवरणी 3B (3.1a) में घोषित कर में अंतर		
IGST	CGST	SGST
111990	0	0

2. निम्नानुसार मासिक विवरणी GSTR-3B में दावाकृत आई0टी0सी0 तथा GSTR-2A / 2B में घोषित आई0टी0सी0 में अंतर स्पष्ट है। स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित अपेक्षित है अन्यथा क्यों न उक्त की मांग / रिवर्सल की कार्यवाही प्रारंभ की जाए? As below, there is apparent difference between ITC claimed in GSTR-3B And ITC

declared in GSTR-2A/2B. Clarification along with evidence is required, otherwise why proceedings for demand/reversal thereof should not be initiated?

GSTR-3B में GSTR-2A / 2B उपलब्ध आईटी0सी0 से अधिक आईटी0सी0 की धनराशि		
IGST	CGST	SGST
0	0	0

3. आप द्वारा संगत अवधि हेतु मासिक रिटर्न (GSTR-3B) देय तिथि के उपरान्त दाखिल करते हुये कर जमा किया गया है किन्तु विलम्ब से जमा कर पर ब्याज अदा नहीं किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में आप नियत तिथि को लेखापुस्तकों (कैश मेमो, खरीद बिल, ई-वे बिल, सेल /परजेच रजिस्टर तथा अन्य साक्ष्य) सहित उपस्थित होकर लिखित उत्तर प्रस्तुत करें अथवा निम्नलिखित तालिकानुसार धनराशि जमा करें अन्यथा कि स्थिति में निम्नवत विवरण के अनुसार कर की धनराशि, अर्थदण्ड व GST अधिनियम की धारा-50 के अंतर्गत ब्याज की मांग सृजित की जायेगी -

ACT	TAX	INTEREST (@18%)	PENALTY	TOTAL
IGST	111990	105154	10000	227144
CGST	0	0	0	0
SGST	0	0	0	0
-	111990	105154	10000	227144

उक्त के संबंध में आप निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं अथवा धारा-73 में निहित प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित धनराशि नहीं जमा करते हैं तो धारा-73(9) के अंतर्गत आदेश पारित करते हुये मांग सृजित की जायेगी तथा वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

नोट * ब्याज जीएसटी अधिनियम की धारा- 50 के अनुसार कर जमा करने की तिथि तक देय होगा ।

Digitally singed/-

